हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 77

वीरवार, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11.00 AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 1921, 1923 से 1929 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1922 का उत्तर सभा पटल पर रखा समझा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1930 से 1968 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 864 से 876 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. कागजात सभा पटल परः

(1) **जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरिक्षा रिपोर्ट सहित) वर्ष 2013-14; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, निरीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः एफ.डी.एस.-ए(3)-1/2009 दिनांक 31.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.01.2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

12-03 PM

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

श्री बलदेव सिंह तोमर ने "जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमण्डल की केदारपुर रिहायशी बस्ती में मै0 स्टार कैमिकल द्वारा अवैध ढंग से स्टोर किए गए खतरनाक रसायनों/कैमिकल्ज़ से हो रहे रिसाव के कारण लोगों में भारी रोष से उत्पन्न स्थिति की ओर **माननीय मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।"

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

12-10 PM

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विपक्ष से बार-बार बहिर्गमन करने के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2015 को की गई टिप्पणी का उल्लेख कियाः-

> "That shows that they are determined to walkout no matter what the reply is. They are non-serious about their work. In fact they are not entitled even to draw the daily allowance. They are not performing properly."

> इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि "अध्यक्ष महोदय, कल जो चर्चा हुई है और जो ये कहते हैं कि मैंने कहा। इन्होंने पढ़ा कि मैंने क्या कहा, according to the proceedings. I stand by it, except the sentence कि ये डी.ए. के हकदार नहीं हैं। I withdraw that, I stand by the other things I said."

12-15 PM

4. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्तावः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2011 को पारित हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय(सम्पति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) को वापिस लिया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2011 को पारित हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय(सम्पति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) वापिस हुआ।

12-17PM

5. **विधायी कार्य :**

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

12-25 PM

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाज सदस्य ने एक और व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि "विपक्ष पार्टी के दफ्तर पर हमला हो जाए, हमारे एक कार्यकर्ता की आँख फट जाए,

उस पर किसी प्रकार का केस तक न चले और उसकी इन्क्वायरी न हो तो उसके बारे में क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, सरकार कोई रिस्पोंस देंगी कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है।"

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "इससे पहले कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल भी यह चर्चा हुई थी और इन्होंने कहा था कि investigation is on."

माननीय मुख्य मंत्री ने इस संबंध में सदन को स्पष्ट किया कि "Speaker, sir, the entire matter is under investigation. Why don't they wait for the conclusion of the investigation." इससे संतुष्ट न होकर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने 12.27 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।

12-28 PM

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

श्री राम कुमार, सदस्य द्वारा नियम 324 के अन्तर्गत दो विषय उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए ।

सदन की बैठक अपराह्न 12.32 बजे सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2015 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई ।